57/16 2016/00022

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत केंथरी)

पीठासीन अधिकारी : विनोद कुमार मीना (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या : 57/2016

मुन्शीलाल पुत्रश्री भरतसिंह जाति ठाकुर निवासी ग्राम पथैना तहसील सैपऊ जिला धौलपुर

.....वादी

बनाम

1–बनवारी पुत्रश्री घूरे जाति ठाकुर निवासी ग्राम कैथरी तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
2–रेशमदेई पत्नी घूरे 3–सन्जू पुत्रश्री घूरे 4–गीताराम पुत्रश्री घूरे 5–उर्मिला पुत्री घूरे
6–छोटी पुत्री घूरे 7–गुडडीदेवी पत्नी रामनिवास जाति ठाकुर निवासी ग्राम केंथरी
तहसील सैपऊ जिला धौलपुर
8–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सैपऊ

.....प्रतिवादीगण

दावा इश्तकरार हक एवं दुरूस्ती
इन्द्राज

उपस्थिति : 1–श्री मुन्शीलाल – वादी
2–बनबारी वगैरा – प्रतिवादी

निर्णय दनांक : 01.06.2017

वादी की ओर से उपरोक्त उनवानी प्रकरण न्यायालय में इन तथ्यों के साथ पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 380, 501, 504, 521, 525 कुल किता 5 कुल रकवा 5 बीघा 2 बिस्वा स्थित ग्राम केंथरी तहसील सैपऊ में वादी एंव प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7 संयुक्त खातेदार काश्तकार है तथा संयुक्त रूप से काबिज होकर काश्त कर रहे है । विवादित आराजी के पूर्व खातेदार प्रतिवादीगणक के पिता स्व0 घूरे थे, उनकी मृत्यू उपरान्त प्रतिवादीगण ने वहिस्सा बराबर उनका तरका प्राप्त किया । प्रतिवादी सख्या 1 ने अपना समस्त 1/7 हिस्सा जरिये वयनामा दिनांक 6.11.2010 को वादी को बेचान कर कब्जा सोंप दिया । प्रतिवादी संख्या 1 का विवादित आराजी में कोई अधिकार नहीं है । बेचान की गई आराजी का नामा0 संख्या 1235 दिनांक 24.11.2010 खोला जाकर वादी का नाम दर्ज किया गया लेकिन पटवारी हल्का द्वारा पूर्व इन्द्राज की जांच किये बिना ही नामा0 संख्या 1305 विरासत का खोला जाकर पुनः वादी का नाम लोपित कर प्रतिवादी संख्या । का नाम दर्ज कर दिया गया जो गलत है। वादी द्वारा के सी सी कार्ड बनबाने के लिए जब राजस्व रिकार्ड की नकल प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट)
ग्राम पंचायत .....

की तो असलियत की जानकारी हुई । वादी ने प्रतिवादी संख्यां 1 से रिकार्ड दुरूस्ती कराने का कहा तो वह इंकारी हो गया । इसलिए वादी को वाद दायर कर अपने अधिकारों की घोषणा कराया जाना आवश्यक हो गया । वादी द्वारा अन्त में निवेदन किया गया है कि वादी को विवादित आराजी में 1/7 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पावंद किया जावे ।

दावा वादी दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया । प्रतिवादीगण राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार –2017 में उपस्थित आये तथा वादी एवं प्रतिवादीगण ने वादी के कथनों को स्वीकार कर लिखित राजीनामा प्रस्तुत कर अवगत कराया कि प्रतिवादी संख्या 1 ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा 1/7 जरिये वयनामा वादी मुन्शीलाल को विक्रय कर दिया है । रेशमदेई, उर्मिला, एवं छोटी ने अपना सम्पूर्ण हिस्सा बनवारी, संजू, गीताराम व सोनू के नाम हक त्याग कर दिया है ।

हमने प्रस्तुत राजीनामा एवं पत्रावली का अवलोकन किया । पत्रावली पर उपलब्ध वयनामा दिनांक 8.11.2010 के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या 1 बनबारी ने अपना सम्पूर्ण 1/7 हिस्सा जरिये वयनामा वादी मुंशीलाक को बेचान किया है । बेचान के उपरान्त नामा0 संख्या 1235 दिनांक 24.11.2010 से खसरा नम्बर 380, 501, 504, 521, 525 किता–5 रकवा 5 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम केंथरी तहसील सैपऊ पर बनवारी पुत्र घूरे हिस्सा 1/7 कि बजाय वादी मुंशीलाल पुत्र भरतसिंह जाति ठाकुर निवासी पथैना तहसील सैपऊ को खातेदार दर्ज किया गया है । उपरोक्त बेचान व इन्द्राज को प्रतिवादीगण ने भी स्वीकार किया है । ऐसी स्थिति में हम दावा वादी डिक्री किया जाना उचित समझते है ।

अतः आदेश है कि दावा वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है । वादी मुंशीलाल को विवादित खसरा नम्बर 380, 501, 504, 521, 525 किता–5 रकवा कुल 5 बीघा 2 बिस्वा वाके ग्राम केंथरी में 1/7 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। वादी के पक्ष में घोषित (दर्ज किये जाने वाला) 15 बिस्वा रकवा प्रतिवादी संख्या 1 की खातेदारी की आराजी में से कम किया जाकर आदेशानुसार रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है । शेष प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 7 के नाम हो रहे इन्द्राज बदस्तूर रखे जाने के आदेश दिये जाते है । पर्चा डिक्री जारी हो । पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 1.6.2017 को मरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी सैपऊ
राजस्व लोक अदालत/कैम्प कोर्ट
ग्राम पंचायत सेवा केन्द्र, केंथरी